

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना

एस०ओ०.....दिनांक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1	2	3	4
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2014	5752.12
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2014	5774.95
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2014	5774.95
4	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	अक्टूबर, 2014	5774.95
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	नवम्बर, 2014	5774.95
5	डिस्टीलरीज के नियोजन	दिसम्बर, 2014	5774.95
6	पाँटीज के नियोजन	कुल-	34626.87
7	बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन		<u>34626.87</u>
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	औसत-	6
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन		= 5771.14
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन		या 5771 बिन्दु
11	कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		अर्थात् 5771-3910=1861वृद्धि
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		प्रतिशत वृद्धि -
13	सिमेन्ट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		1861÷3910=47.59%
14	एसबेस्टस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सागाजिक संस्थान के नियोजन		

Handwritten Signature

1	2	3	4
18	पेपर उद्योग के नियोजन		
19	लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन		
20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड बर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन		
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
28	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अबरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
36	रिफ्रैक्ट्रीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किरी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
40	हॉटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
43	आँटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		

Handwritten signature

1	2	3	4
44	सिनेगा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन		
46	सिलाई उद्योग के नियोजन		
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोसेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोड़कर) के नियोजन		
54	दपती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवुड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई (फाउन्ड्री उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्यों के नियोजन		
64	स्पंज आयरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शाॅप्स के नियोजन		
66	मोटर बाॅडी विल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टर्ड/कॉस्ट एकाउन्टर/ऑडिटर/टेक्स कंसल्टेंट्स एण्ड आक्टिवेट के नियोजन		

1	2	3	4
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाय पाईप लाईन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन		
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई-दिसम्बर, 2014 (वर्ष 2014 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक 01.04.2015 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम०डबल्यू०-2071/2010,प्र०नि०.....656.....) राँची, दिनांक 13/4/15

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सतीश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

13/4/15

अधिसूचना

एस०ओ०.....656..... दिनांक 13/4/15 का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/एम०डबल्यू०-2071/2010,प्र०नि०.....65.....) राँची, दिनांक 13/4/15

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सतीश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

13/4/15

उमंग

NOTIFICATION

S.O....656./ dated 12/11/17 In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (1960=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2014	5752.12
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2014	5774.95
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2014	5774.95
4	Cold Storage	October, 2014	5774.95
5	Distilleries	November, 2014	5774.95
6	Potteries	December, 2014	5774.95
7	Bakeries and Confectionaries	Total-	34626.87
8	Co-Operative Sector	Average	<u>34626.87</u>
9	Aluminum Industry		6
10	Khandsari Industry		= 5771.14
11	Chemical Pharmaceutical Industry		Or 5771 Point
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		

19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferries and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establishment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of Cultural Institution		
40	Hotels, Eating House and Restaurant		
41	Any, Woolen Carpet making of Shawl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		
46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		

48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Flume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		
53	Employment of Glass Industry (Excluding Glass Sheet)		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		
66	Employment of Motor Body Building.		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2014, which is 2nd half of 2014, will be payable from 01.04.2015.

[No-2/MW-2071/2010 L&T-.....656..... Ranchi, Dated 13/4/15]
By Order of the Governor of Jharkhand,

(Satish Kumar)
Under Secretary to Government.

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०657..... राँची, दिनांक 13/4/15

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सतीश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०657..... राँची, दिनांक 13/4/15

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आगत सचिव/सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(सतीश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०657..... राँची, दिनांक 13/4/15

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिगला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(सतीश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

क्र. सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अभिज्ञाना सं० एवं तिथि	प्रति बिन्दु परिवर्तनशील मंदागई भत्ता (पैसे में)	जनवरी-जून, 2010 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं।	जुलाई-दिसम्बर, 2014 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर मंदागई भत्ता देय है।	उपरोक्त मूल्य सूचकांक में यदि (6-5)	कई हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील मंदागई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से मंदागई भत्ता की राशि देनी होगी।
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-932 दिनांक 01-04-2011	क) 127.00 रु० से 142.00 रु० तक - पैसे 8.76 ख) 142.00 रु० से अधिक 158.00 रु० तक - पैसे 9.80	3910	5771	1861	क) रु० 127.00 से 142.00 तक रु० 60.43 प्रतिदिन ख) रु० 142.00 से अधिक तथा 158.00 तक रु० 67.57 प्रतिदिन ग) रु० 158.00 से अधिक तथा 191.00 तक रु० 75.19 प्रतिदिन घ) रु० 191.00 से अधिक रु० 90.89 प्रतिदिन	दिनांक 01.04.2015 से
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-946 दिनांक 01-04-2011	अधिक 158.00 रु० तक - पैसे 9.80					
3	चर्म शोहनालय और चर्म विनिर्माणालयों के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-958 दिनांक 01-04-2011	ग) 158.00 रु० से अधिक 191.00 रु० तक - पैसे 10.90				ग) रु० 158.00 से अधिक तथा 191.00 तक रु० 75.19 प्रतिदिन	
4	कोरछ स्टेशन के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-936 दिनांक 01-04-2011	घ) 191.00 रु० से अधिक-पैसे 13.18				घ) रु० 191.00 से अधिक रु० 90.89 प्रतिदिन	
5	डिस्टीलरीज के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-930 दिनांक 01-04-2011	क) 3302.00 रु० से अधिक-पैसे 13.18				क) रु० 3302.00 से अधिक-पैसे 13.18	
6	पार्किंग के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-960 दिनांक 01-04-2011	ख) 3692.00 रु० से अधिक-पैसे 13.18				ख) रु० 3692.00 से अधिक-पैसे 13.18	
7	बैंकों एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-954 दिनांक 01-04-2011	ग) 4108.00 रु० से अधिक-पैसे 13.18				ग) रु० 4108.00 से अधिक-पैसे 13.18	
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	अभिज्ञाना सं०-952 दिनांक 01-04-2011	घ) 4966.00 रु० से अधिक-पैसे 13.18				घ) रु० 4966.00 से अधिक-पैसे 13.18	

(Handwritten Signature)

-----2:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्पमिनिमम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डकारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	कैमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सिमेन्ट ग्री-स्टेस प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एण्डरेस्टेस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिन्दुर एवं रां बमने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-बस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

MINIMUM WAGES, 2nd half of 2014, July-December

दिल्ली

अमरा

0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	प्रियाराज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खदी ग्रामाडोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०सी०के के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन	अभिसूचना सं०-962 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम एव वलॉन्टियर्स के नियोजन	अभिसूचना सं०-944 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	सड़क के निर्माण या अनुसूचना अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	अभिसूचना सं०-928 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	पुराणालय के नियोजन	अभिसूचना सं०-942 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अबरख कार्यों (खानाओं को छोड़कर कारखाने एव प्रतिष्ठान) के नियोजन	अभिसूचना सं०-940 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-938 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एव रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	अभिसूचना सं०-948 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिश्तेदारी फायर ब्रिक्स एव सिरानिकस उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-956 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी रुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	अभिसूचना सं०-984 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	परिलक मोटर ट्रान्सपोर्ट के नियोजन	अभिसूचना सं०-988 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	अभिसूचना सं०-990 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	होटल, भोजन पूर्ण एव रेस्तराओं के नियोजन	अभिसूचना सं०-994 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	उर्जा कालीन बनाने वाले या शाहल बुनने वाले किर्सी प्रतिष्ठान के नियोजन	अधिसूचना सं०-992 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	डेपरी एव पील्दी फार्मर्स के नियोजन	अधिसूचना सं०-986 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	आर्टो मोबाइल इंजीनियरिंग ग्रॉप के नियोजन	अधिसूचना सं०-998 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1006 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	अधिसूचना सं०-1008 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	सिलई उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1004 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	रबर एव रबर कम्पाउन्ड उद्योग जिसमें टायर एव ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	अधिसूचना सं०-1010 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	बिजली एव अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोस ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1012 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1002 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	सिमेन्ट से इथूम पाईप, बिजली का खम्भा एव रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1021 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	कृषि नियोजन	अधिसूचना सं०-1019 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-1023 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लास शीट को छोड़कर) के नियोजन	अधिसूचना सं०-857 दिनांक 20/04/2013	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	दपती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारपोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गला पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	अधिसूचना सं०-924 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

-----5:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
35	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/12 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	लाइड उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०- दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	डलाई (काउट्री उद्योग) के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/16 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	विस्फोट उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/18 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	कोल बिक्रेत उद्योग के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/20 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	प्राइवेट सिमरूटि ऐन्सो के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/22 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61	लघु अभिव्यवस्था उद्योग (स्वचालित अभिव्यवस्था तुकानों को छोड़कर) के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/50 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62	मिनरल श्राईडिंग के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/72 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	बुहारने और सफाई का कार्यों के नियोजन	अभिसूचना सं०-10/17 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
64	संज्ञ आयतन छड़ निर्माण एवं लेवहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	अभिसूचना सं०-9/74 दिनांक 01-04-2011	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65	मोटार गैरज एण्ड वर्क्स शांघ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66	मोटार बांड़ी बिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67	मेष, कैप्टीन एवं कलब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	चार्टर/कॉस्ट एकाउन्ट्स/ऑडिटर/टेक्स कंसल्टेंसी एण्ड आर्किटेक्चर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70	जमान के नीचे वाटर सलाई पार्श लार्डन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

-----:6:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
72	पंडाल आदि का साज सजा आदि के नियोजन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
73	ग्राइडिंग एण्ड क्लेशिंग ऑफ मिमरल ओर के नियोजन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव

(संख्या-2/एम०डब्ल्यू०-2074/2010, श्र०नि०-657) राँची, दिनांक 13.11.15)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सतीश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।
13/11/15

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Rate of V.D.A. per point	Average of indices of Jan.-June, 2010 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July-December, 2014 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-932 Date 1.4.2011	1) Rs.127.00 up to 142.00- 8.76 paise 2) Above 142.00 up to 158.00 - 9.80 paise	3910	5771	1861	1) Rs. 127.00 up to 142.00 Rs. 60.43 per day 2) Above Rs. 142.00 up to Rs. 158.00 = Rs. 67.57 per day 3) Above 158.00 up to 191.00 = Rs. 75.19 per day 4) Above Rs. 191.00 Rs. 90.89 per day	From 01.04.2015
2	Shops Selling Cooked food stuff	Notification No-946 Date 1.4.2011	3) Above is 158.00 up to Rs. 191.00- 10.90 paise 4) Above Rs. 191.00- 13.18 paise				1) Rs. 158.00 up to Rs. 191.00 = Rs. 75.19 per day 2) Above Rs. 191.00 = Rs. 90.89 per day	
3	Tanneries and Leather Manufactory	Notification No-958 Date 1.4.2011	1) Rs. 3302.00 up to 3692.00 = 227.84 Rupees 2) Above 3692.00 up to Rs. 4108.00 = 254.75 Rupees 3) Above Rs. 4108.00 up to Rs. 4966.00 = 283.45 Rupees 4) Above Rs. 4966.00 = 342.65 Rupees				1) Rs. 3302.00 up to Rs. 3692.00 = Rs. 1571.42 per month 2) Above Rs. 3692.00 up to Rs. 4108.00 = Rs. 1757.02 per month 3) Above Rs. 4108.00 up to Rs. 4966.00 = Rs. 1954.99 per month 4) Above Rs. 4966.00 = Rs. 2363.31 per month	
4	Cold Storage	Notification No-936 Date 1.4.2011						
5	Distilleries	Notification No-930 Date 1.4.2011						
6	Potteries	Notification No-960 Date 1.4.2011						
7	Bakeries and Confectionaries	Notification No-954 Date 1.4.2011						

Report No

0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	Notification No-952 Date 14.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Aluminium Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
10	Khandasari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Cun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29	Hard Coke Oven	Notification No-952 Date 14.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

Signature

-----:3:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	Notification No-944 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Notification No-928 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
32	Printing Press	Notification No-942 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Notification No-940 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
34	Handloom Industry	Notification No-938 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
35	Manufacture of Gold Articles of ststic design	Notification No-948 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	Notification No-956 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
37	Any shop or Establishment	Notification No-984 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
38	Public Motor Transport	Notification No-988 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	Notification No-990 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
40	Hotels, Eating House and Restaurant	Notification No-994 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	Notification No-992 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
42	Dairies and Poultry Farms	Notification No-985 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
43	Auto Mobile Engineering	Notification No-998 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
44	Cinema Industry	Notification No-1006 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	Notification No-1008 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
46	Tailoring Industry	Notification No-1004 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	Notification No-1010 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Notification No-1012 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
49	Plastic Industry	Notification No-1002 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

MINIMUM WAGES, 2nd half of 2014, July-December

[Handwritten Signature]

3111

-----4:-----

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Notification No-1021 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
51	Employment in Agriculture	Notification No-1019 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	Notification No-1023 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Employment of Glass Industry (Excluding Glass Sheet)	Notification No-987 Date 20.4.2013	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
54	Dattu, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	Notification No-924 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
55	Electronics Industry	Notification No-912 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
56	Plywood Industry	Notification No-914 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
57	Foundry Industry	Notification No-916 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
58	Biscuit Industry	Notification No-918 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
59	Coal Briquette Industry	Notification No-920 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
60	Private Security Agency	Notification No-922 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Notification No-950 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
62	Mineral Grinding Industry	Notification No-972 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Notification No-1017 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
64	Sparse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Notification No-974 Date 1.4.2011	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
65	Employment in Motor garages and workshops	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
66	Employment of Motor Body Building	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

MINIMUM WAGES, 2nd half of 2014, July-December

Signature

3411

-----5:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MMW-2071/2010, I & T-656, Ranchi, Dated 12/11/15]

By order of the Governor of Jharkhand,

(Safish Kumar)
Under Secretary to Government

[Handwritten Signature]